न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00065 (65/2019) 223 आरटीएक्ट

1. हातमअली पुत्र स्व० श्री मेहरदीन, आयु 61 वर्ष, जाति मुसलमान कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर–23, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

––अपीलांट तृतीय पक्षकार

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री तोलाराम, जाति जाट, निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेंट/वादी
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ
3. गौमतीदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री तोलाराम, जाति जाट, निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ
4. विमलादेवी पुत्री स्व0 श्री तोलाराम, जाति जाट, निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या–1 से 3
5. स्टेट, जरिये जिला कलैक्टर, हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़

––तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.02.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरणसंख्या 136/2016 (186/2016) बअनवानी शंकरलाल बनाम स्टेट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री ओ. पी. मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 16.03.2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष वाद अन्तर्गत 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जिसमें कस्बा नोहर के खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा अर्थात 7.120 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या–1/वादी व रेस्पोडेंट संख्या–2 व 3/प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 की खातेदारी घोषित करते हुये इस भूमि को नगरपालिका परिधि में होने का कथन कर नियमन की अवधारणा

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पारित करते हुये पत्रावली को अनुमोदन हेतु रेस्पोडेंट संख्या–5 के माध्यम से सम्भागीय आयुक्त बीकानेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनाक 20.02.2019 के विरूद्ध बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत है। यह कि अपील से सम्बधित सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा नोहर के पुराने खसरा नम्बर 893/710 की 164.09 बीघा आराजीराज भूमि थी। उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 183 के चिपते हुये थी। अपीलांट के कब्जा कास्त में अपनी उक्त खसरा नम्बर–183 की खातेदारी भूमि के चिपते उतरी तरफ व पश्चिमी तरफ उक्त आराजीराज भूमि खसरा नम्बर–893/710 में 16 बीधा कब्जा कारत में भी तथा यह भूमि टी0सी0 पर आंवटित होती आई। कालान्तर में उक्त खसरा नम्बर–893/710 नये खसरों में तब्दील हुआ तथा अन्य खसरों के अलावा खसरा नम्बर 181 व 184 नवीन खसरे बने। खसरा नम्बर–181 में 5 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर–184 में 7 बीघा 2 विस्वा कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में बतौर टी०सी० आंवटन होती आई तथा यह भूमि कालान्तर में दिनांक 05–07–1997 को पुख्ता आंवटित हुई।

4. यह कि खसरा नम्बर–893/710 की 164 बीघा 9 बिस्वा आराजीराज भूमि को कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से तत्कालीन उपजिलाधीश नोहर ने दिनांक 18–07–1967 को जोहड़ पायतान घोषित कर दिया था जबकि यह भूमि काबिल काश्त आराजीराज थी। अपीलांट के कब्जा काश्त की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो उसे टी0सी0 पर आंवटित हो रही थी, के नवीन खसरा नम्बर–181/28.03 बीघा व 184/20.03 बीघा को रेस्पोडेंट संख्या–1 व 3 व 4 के पिता व पति स्व० श्री तोलाराम पुत्र जोधाराम तथा प्रयागचन्द पुत्र चानणमल ने गलत रूप से भू–प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत कर अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करवा ली। पूर्वोक्त आदेश दिनांक 18–07–1967 का आधार लेकर उपजिलाधीश नोहर ने दिनांक 11–09–75 को आदेश पारित कर उक्त भूमि को गैरमुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज करने के आदेश पारित किये। तोलाराम–प्रयागचन्द व अन्य ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर, माननीय राजस्व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष चुनौती दी तथा अन्ततः उनके द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.पी. संख्या–1321/1987, 1368/1987, 1369/1987 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27–02–1997 को निर्णय फरमाते हुये उपजिलाधीश नोहर के आदेश दिनांक 11–09–75 को अपास्त कर प्रकरण उपजिलाधीश नोहर को रिमाण्ड किया।

5. अपीलांट के पक्ष में हुये स्थाई आंवटन दिनांक 05–07–97 का अमलदरामद तोलाराम आदि द्वारा की गई उक्त रिट याचिकाओं में स्थगन होने के कारण नहीं हो सका था तथा दिनांक 27–2–1997 को उनके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना उस स्थाई आंवटन दिनांक 05–07–97 को एक पक्षीय तौर पर दिनांक 05–08–97 न्यायालय निरस्त कर दिया। अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 05–08–1997 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष अपील निगरानी एवं रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी तथा अन्तत बी0पी0 सिविल स्पेशल अपील संख्या–384/2012 प्रस्तुत की। इस अपील संख्या–384/2012 में माननीय सस्य न्यायालय ने तोलाराम आदि की रिट याचिकाएं संख्या–1321/1987, 1368/1987 व 136/1987 में पारित निर्णय दिनांक 27–02–1997 का उल्लेख कर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता देते हुये उक्त अपील संख्या–384/2012 का दिनांक 11–05–2012 को निस्तारण कर दिया।

6. यह कि अपीलाण्ट ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–05–2012 में पारित अवधारणा अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12–06–2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा विस्तृत तथ्यों का उल्लेख करते हुये उसके पक्ष में पूर्व मैं पुख्ता आंवटित भूमि को बहाल करने का निवेदन किया। अपीलांट का उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 12–06–2012 अभी तक विचाराधीन है तथा इस प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई हेतु आगामी पेशी 30–04–2019 नियत है। चित्रप्रति आदेश प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 11–05–2012 व प्रार्थना–पत्र दिनांक 12–06–2012 मय फर्दअहकाम संलग्न है। यह कि अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 12–06–2012 की लम्बित अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय ने तोलाराम आदि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. पर दिनांक 04–01–2013 को आदेश फरमाते हुये दिनांक 11–09–75 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमाये हैं। इस आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को आंवटित भूमि खसरा नम्बर–181 की 5 बीघा 8 बिस्वा सहित खसरा नम्बर–181 की समस्त 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 के पिता व पति स्व० श्री तोलाराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपीलांट ने इस आदेश से व्यथित होकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील संख्या–312/2016 प्रस्तुत की। इस अपील में दिनांक 23–05–2016 को निर्णय फरमाते हुये अपीलांट की अपील यह अवधारणा पारित करते हुये खारिज कर दी कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यास्थापन के पश्चात् विवादित भूमि रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश दिये हैं। अतः पक्षकारान के हित सुरक्षित है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रकरण का शीघ्राशिघ्र तीन माह में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हये नियमानुसार व विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट ने इस निर्णय दिनांक 23–05–2016 से व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की हुई है जो अभी तक विचाराधीन है जिसमें आगामी पेशी 30–04–2019 नियत है।

7. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त 23–05–2016 को आदेश से पूर्व ही रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या–136/2016 दिनांक 06–05–2016 को प्रस्तुत कर इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही कि उक्त भूमि क सम्बन्ध में उसको खातेदार घोषित किया जावे। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या–1 यह कथन किया कि उसे खसरा नम्बर–893/710 की 50 बीघा भूमि सन् 1958–59 में पुख्ता आवंटित हो गई थी तथा इस भूमि पर उसका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह नियमानुसार 10 वर्ष व्यतित होने के बाद इस भूमि का स्वतः ही खातेदार हो गया है तथा उक्त खसरा नम्बर–893/710 की भूमि हाल में खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा में परिवर्तित हो गई है। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या–1 ने यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1321/1987 में पारित आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

27–02–97 की पालना में धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04–01–2013 के अनुसरण में यह भूमि रेस्पोडेंट के पिता तोलाराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज हो चुकी है तथा राज्य पक्ष इस भूमि को आंवटन निमयों के आधार पर उसकी खातेदारी होना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 तथा 3 व 4 को इस भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

8. यह कि रेस्पोडेंट संख्या–2 राज्य पक्ष ने इस वादपत्र का विरोध किया तथा यह भूमि स्व० श्री तोलाराम को पुख्ता आवंटन नहीं होने के कथन किये व तोलाराम द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग से गलत रूप से यह भूमि गैर खातेदारी अंकित करवा लेने के कथन किये तथा यह भूमि जोहड़ पायतन की होने से वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। यह कि अपील की चरण संख्या–2 से 6 में वर्णित सुदृढ़ आधारों पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या–1 के द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 23–05–2017 प्रस्तुत किया तथा खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा होने व यह भूमि उसे एक प्रक्रम पर पुख्ता आंवटित हो जाने के कथन करते हुये इस वादपत्र में प्रभावित पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना–पत्र पर पृथक से कोई सुनवाई नहीं की तथा अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत ही अपीलांट का प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुये यह भी अंकित कर दिया कि हातमअली अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं लेकिन उसी दिन अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न देते हुये आनन–फानन में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–02–2019 को पारित कर दिया। अपीलांट इस निर्णय से विपरीत रूप से एवं सारवान रूप से प्रभावित है तथा इस कारण धारा 96 सीपीसी के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुये उक्त निर्णय के विरूद्व यह अपील अनुमतिधीन निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा हैं कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–02–2019 कतई गलत, विधि विरूद्व एवं अनुचित एवं विधि के प्रावधानों की कतई अनदेखी करते हुये पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट संख्या–1 का यह कथन था कि प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर–893/710 की 50 बीघा भूमि सन् 1958–59 में तोलाराम पुत्र श्री जोधाराम को पुख्ता आवंटित हुई। वस्तुतः श्री तोलाराम के पक्ष में ऐसा कोई पुख्ता आंवटन का आदेश था ही नहीं। तत्समय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1957 प्रभावशील थे। उक्त नियम सन् 1957 के नियम 14 के अन्तर्गत पुख्ता आंवटन सर्वप्रथम गैर खातेदारी के रूप में होने का प्रावधान है व तत्पश्चात 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्वतः ही खातेदारी हो जाने के प्रावधान है। रेस्पोडेंट संख्या–1 ने ऐसा कोई पुख्ता आंवटन आदेश या सन् 1958 के बाद की ऐसी कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है जिससे उक्त वर्णित 50 बीघा भूमि श्री तोलाराम को पुख्ता आंवटित होना साबित हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने जो पट्टे पेश किये है वे 2 साला अस्थाई काश्त के पट्टे हैं जो उक्त नियम 14 के अनुसार यह भूमि तोलाराम को पुख्ता आंवटित होने के दस्तावेज नहीं थे तथा यदि यह भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता को वास्तव में पुख्ता आंवटित होती तो सम्वत 2015 की जमाबन्दी में यह भूमि निश्चित रूप से गैर खातेदारी दर्ज होती। रेस्पोडेंट ने अस्थाई पट्टा के आधार पर दर्ज काश्त के सम्बन्ध में सम्वत 2019 की गिरदावरी प्रस्तुत की है जिसमें मात्र काश्तकार का उल्लेख है। रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता ने पुख्ता आंवटन हुये बिना भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर भू प्रबन्ध के दौरान यह भूमि गैर खातेदारी दर्ज करवा ली तथा बिना आंवटन भूदृप्रबन्ध विभाग को यह भूमि गैर खातेदारी दर्ज करने का अधिकार नहीं था। इस गलत व विधि विरूद्व प्रविष्टि के कारण सन् 1975 में यह भूमि राजस्व अभिलेख में तोलाराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर यह भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता को पुख्ता आंवटित होना मानने में भारी विधि व तथ्य की भूल की कि खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर–184 की 20 बीघा 3 बिस्वा में से 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि सन् 1972 से अपीलांट के नाम से बतौर टी0सी0 आंवटित होती आई है तथा इस भूमि पर अपीलांट निरन्तर काबिज चला आ रहा है। यह भूमि अपीलांट को बतौर टी0सी0 आंवटित होने के परिणामस्वरूप ही अपीलांट को दिनांक 05–07–97 को तत्समय प्रभावशील राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार यह भूमि आंवटित हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता ने खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से अपीलांट के कब्जा काश्त में 5 बीघा 8 बिस्वा होने के बावजूद भू–प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत कर इस खसरा की सम्पूर्ण 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि कतई गलत व विधि विरूद्व रूप से अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करवा ली व अब

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत उक्त 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई है जिससे अपीलांट के अधिकार प्रभावित हुये हैं। अपीलांट के पक्ष में हुये स्थाई आवंटन दिनांक 05–07–97 का अमलदरामद तोलाराम आदि द्वारा की गई रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश होने के कारण नहीं हो सका तथा दिनांक 27–02–97 को उनके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना उसके स्थाई आंवटन दिनांक 05–97–97 को एक पक्षीय तौर पर दिनांक 05–08–97 को निरस्त कर दिया। इस आदेश दिनांक 05–08–97 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ, राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष अपील, निगरानी व रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी तथा अन्ततः डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या–384/2012 प्रस्तुत की व इस अपील संख्या–384/2012 में माननीय उच्च न्यायालय ने तोलाराम आदि की रिट याचिकाएं संख्या–1321/1987, 1368/1987 व 1369/1987 में पारित निर्णय दिनांक 27–02–1997 का उल्लेख कर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता दी तथा माननीय उच्च न्यायालय की निर्णय अनुसार अपीलांट ने इस आंवटन आदेश को बहाल करने हेतु दिनांक 12–06–2012 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया जो अभी तक विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह प्रार्थना–पत्र विचाराधीन होते रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित करते हुये मनमानापूर्ण व विधि विरूद्व रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया तथा एक प्रकार से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या–384/2012 निर्णय दिनांक 11–05–2012 की सरासर अवहेलना की है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिवस में अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज कर उसी दिन उसी अपीलाधीन निर्णय पारित कर न केवल अपीलांट को अपना पक्ष रखने से वंचित किया अपितु पक्षकार न बनाये जाने के आदेश के विरूद्व अपीलांट को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के मौलिक अधिकार से भी वंचित किया है जिसके कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खुल्मखुल्ला अवहेलना हुई है। दिनांक 20.01.2019 को रविवार था उस दिन बहस सुनना दिखाया है उक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पक्षपातपूर्ण होना परिलक्षित है। प्रश्नगत भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1957 व 1970 के प्रावधानों से शासित है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता के पक्ष में सन् 1958–59 के अस्थाई पट्टों के आधार पर वरीयता का निर्धारण करने में विधिक भूल की है तथा राजस्थान उपनिवेशन (इवगा0न0प0 क्षेत्र में राजकीय भूमि आंवटन) नियम 1975 के नियम 7 व 13 (5) का उल्लेख करते हुये रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में इस अस्थाई पट्टा के आधार पर खातेदारी अधिकार देने में विधिक भूल की है। प्रश्नगत भूमि खसरों में स्थित है तथा परियोजना क्षेत्र से बाहर है जिस पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम व इसके अधीन बने नियमों के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों की अनदेखी कर इस भूमि पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के उपबन्धों को लागू करते हुये आरक्षित दर पर पुख्ता आंवटन करने का अनुचित, विधि विरूद्व व मनमाना आदेश पारित किया है तथा इस पत्रावली को माननीय सम्भागीय आयुक्त के अनुमोदन हेतु भिजवाया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन आरआरडी 1990 पेज 28, आरआरडी 1992 पेज 229 आरआरडी 2000 पेज 384 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या–136/2016 दिनांक 06–05–2016 को प्रस्तुत कर इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही कि उक्त भूमि क सम्बन्ध में उसको खातेदार घोषित किया जावे। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या–1 यह कथन किया कि उसे खसरा नम्बर–893/710 की 50 बीघा भूमि सन् 1958–59 में पुख्ता आवंटित हो गई थी तथा इस भूमि पर उसका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वह नियमानुसार 10 वर्ष व्यतित होने के बाद इस भूमि का स्वतः ही खातेदार हो गया है तथा उक्त खसरा नम्बर–893/710 की भूमि हाल में खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा में परिवर्तित हो गई है। प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर–893/710 की 50 बीघा भूमि सन् 1958–59 में तोलाराम पुत्र श्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जोधाराम को पुख्ता आवंटित हुई। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या–1 ने यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1321/1987 में पारित आदेश दिनांक 27–02–97 की पालना में धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04–01–2013 के अनुसरण में यह भूमि रेस्पोडेंट के पिता तोलाराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज हो चुकी है तथा राज्य पक्ष इस भूमि को आंवटन निमयों के आधार पर उसकी खातेदारी होना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 तथा 3 व 4 को इस भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। अपीलाण्ट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 23–05–2017 प्रस्तुत किया तथा खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा होने व यह भूमि उसे एक प्रक्रम पर पुख्ता आंवटित हो जाने के कथन करते हुये इस वादपत्र में प्रभावित पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया था जिससे साबित हो सके की उसे कभी भूमि आवंटन की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते सहवन से एक साला आवंटन की गई थी जिसे उसी समय प्रार्थी को किये गये आवंटन को यह अंकित करते हुए निरस्त कर दियाकि सहवन से प्रार्थी को भूमि आवंटन हो गई प्रकरण माननीय उच्च न्यायायल में पूर्व से वादी/अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत है जो विचाराधीन है सहवन से भूमि प्रार्थी को आवंटन कर दी गई जो गलत है जिसे तुरन्त निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी खारिज किये गये आवंटन के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं माना है। रेस्पोडेण्ट संख्या सं0 1 के पिता ने पूर्व में 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो दिनांक 04.01.2013 स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलाट ने अपीलाण्ट ने राजस्व अपील अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 311/2016 पेश की थी जो दिनांक 23.05.2016 जो खारिज की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में भी इनकी अपील 384/2012 खारिज फरमाई गई है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 54 एलबी, आरआरटी 2016 (2) पेज 742 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

12. रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में राजस्व वाद प्रस्तुत कर इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही कि उक्त भूमि क सम्बन्ध में उसको खातेदार घोषित किया जावे। इस वादपत्र में रेस्पोडेंट संख्या–1 ने यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका संख्या–1321/1987 में पारित आदेश दिनांक 27–02–97 की पालना में धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04–01–2013 के अनुसरण में यह भूमि रेस्पोडेंट के पिता तोलाराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज हो चुकी है तथा राज्य पक्ष इस भूमि को आंवटन निमयों के आधार पर उसकी खातेदारी होना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 तथा 3 व 4 को इस भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

13. अपीलाण्ट की अपील का मुख्य आधार यह है कि खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर–184 की 20 बीघा 3 बिस्वा में से 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि सन् 1972 से अपीलांट के नाम से बतौर टी0सी0 आंवटित होती आई है तथा इस भूमि पर अपीलांट निरन्तर काबिज चला आ रहा है। यह भूमि अपीलांट को बतौर टी0सी0 आंवटित होने के परिणाम स्वरूप ही अपीलांट को दिनांक 05–07–97 को तत्समय प्रभावशील राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार यह भूमि आंवटित हुई थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 के पिता ने खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से अपीलांट के कब्जा काश्त में 5 बीघा 8 बिस्वा होने के बावजूद भू–प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत कर इस खसरा की सम्पूर्ण 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि कतई गलत व विधि विरूद्व रूप से अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करवा ली व अब अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत उक्त 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई है जिससे अपीलांट के अधिकार प्रभावित हुये हैं। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 23–05–2017 प्रस्तुत किया तथा खसरा नम्बर–181 की 28 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा होने व यह भूमि उसे एक प्रक्रम पर पुख्ता आंवटित हो जाने के कथन करते हुये इस वादपत्र में प्रभावित पक्षकार होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया जिसमें प्रश्नगत भूमि उसे आवंटित नहीं हेाने के कारण उसे प्रभावित पक्षकार नहीं माना गया वह खारिज किया जा चुका है। **अपीलाण्ट ने ऐसा केाई साक्ष्य पेश नही किया था जिससे साबित हो सके की उसे कभी भूमि आवंटन की गई थी। प्रश्नगत भूमि माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते सहवन एक साला आवंटन की गई थी जिसे उसी समय प्रार्थी को किये गये आवंटन को यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया कि सहवन से प्रार्थी को भूमि आवंटन हो गई प्रकरण माननीय उच्च न्यायायल में पूर्व से वादी/अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत है जो विचाराधीन है सहवन से भूमि प्रार्थी को आवंटन कर दी गई जो गलत है जिसे तुरन्त निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी खारिज किये गये आवंटन के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं माना है। रेस्पोडेण्ट संख्या सं0 1 के पिता ने पूर्व में 144 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो दिनांक 04.01.2013 स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलाट ने अपीलाण्ट ने राजस्व अपील अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 311/2016 पेश की थी जो दिनांक 23.05.2016 जो खारिज की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में भी इनकी अपील 384/2012 खारिज फरमाई गई है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अपील अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।** अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं अपील इसी स्तर पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या 2019/00065 (65/2019) 223 आरटीएक्ट

1. हातमअली पुत्र स्व० श्री मेहरदीन, आयु 61 वर्ष, जाति मुसलमान कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर–23, नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

––अपीलांट तृतीय पक्षकार

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री तोलाराम, जाति जाट, निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेंट/वादी
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ
3. गौमतीदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री तोलाराम, जाति जाट, निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ
4. विमलादेवी पुत्री स्व0 श्री तोलाराम, जाति जाट, निवासी नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या–1 से 3
5. स्टेट, जरिये जिला कलैक्टर, हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़

––तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.02.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरणसंख्या 136/2016 (186/2016) बअनवानी शंकरलाल बनाम स्टेट

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री ओ. पी. मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 5 और से की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2019 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.03.2020 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.) राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.24 12:18:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: